प्रेषक,

प्रभंजन यादव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 20-07-2026**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-2401-119-04-फल-13-राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्री य फूड एक्पों , मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन में नवीन मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-1000.00 लाख को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध, में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-07/बजट/2026-27, दिनांक: 16.04.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-04-फल-13-राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय फूड एक्पों, मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन में नवीन मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) को अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नगलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्पाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मद/कार्यों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(3) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक/वित्ती नियंत्रक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक/वित्त नियंत्रक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

(6) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को निदेशक/वित्त नियंत्रक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(7) निदेशक/वित्त नियंत्रक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(8)अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(9) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निदेशक/वित्त् नियंत्रक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) निदेशक/वित्तय नियंत्रक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग यह सुनिश्चित करेगें कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(12)- स्वीकृत धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(13)- प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(14)- स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।

(15)- प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक/वित्ता नियंत्रक, खाद्य प्रसंस्कंरण उत्तरदायित्व होगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखा शीर्षक** 2401001190413 राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय फूड एक्सपो, मेलें, प्रदर्शनी आदि का आयोजन **मानक मद** 42 अन्य व्यय (*2*) रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखा शीर्षक** 2401001190413 राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय फूड एक्सपो, मेलें, प्रदर्शनी आदि का आयोजन **मानक मद** 44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-88-X-2026-27-दिनांक:15-7-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभंजन यादव)
उप सचिव।

संख्या-13/2026/I/1401951/2026/644(1)/58-2-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
प्रभंजन यादव
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in